

मूल वाद में डिफ्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)
पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उन्वान

किशोरी लाल

बनाम

मनफूल आदि

दावा बावत :- 88RIAT

मुकदमा नम्बर :- 353/2021

निर्णय दिनांक :- 02-12-2021

वादी की ओर से वकील मानु प्रताप सिंह की व प्रतिवादी सं० 1, 2, 3 की ओर से वकील उमेश मोहसरा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख

को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि श्रीमती मीजा वीरअपरा के खाते सं० 15/32 के खसरा

सं० 60, 62, 100, 112, 126, 128, 129, 135, 136, 143, 146, 150, 152, 153 व 155
कुल 50.4830 हे० बाराको खातेदारी में प्रतिवादी सं० के नाम 1/8 हिस्सा

व श्रीमती मीजा किकराली के खाते सं० 140/37 के खसरा सं० 166, 167
कुल 22.7000 हे० बाराको खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० मनफूल

के नाम 1/8 हिस्सा राजसव खाते में दर्ज है में से प्रतिवादी सं० मनफूल
के बाजार कादी सं० किशोरी लाल, वादी सं० 2 जगदीश व प्रतिवादी

संग मनफूल को वह हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित
किये जाते हैं कि प्रतिवादी सं० 2 ने अपना सम्पूर्ण एक वह हिस्सा

कादीगा व प्रतिवादी सं० के पक्ष में त्याग कर ग्रहण कर लिया
है उसविर त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देये

पंजीयन मुल्क एवं स्थान उभय उदा करे व वादी कृषि भूमि
के एक के खेव हो तो खेव मुल्क होने के उपरान्त ही राजसव खाते

में सम्पूर्ण दस्तावेज किया जाये राजानामा को डिफ्री का भाग
पडा जाये/

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिफ्री आज दिनांक 02-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(शकुन्तला चौधरी)

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
भादरा, जिला हनुमानगढ़
कैम्प कुंदा